झारखण्ड सरकार वाणिज्य-कर विभाग।

पत्र संख्या-वा०कर 1 / वैट / विविध / 40 / 2006-27 19 (अकु) रॉची, दिनांक- 25 6 10 प्रेषक,

एस० के० श्रीवास्तव, वाणिज्य—कर अपर आयुक्त, झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०)

विषय:- विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० २९ दिनांक २३.०६.२०१० के संबंध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक अधिसूचना, जो विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5 दिनांक 22.06.2007 को निरस्त करने से संबंधित है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन

अनु०—यथोक्त।

वाणिज्य-कर अपर अयुक्त, झारखण्ड, रॉची।

कृष्णा /

GOVERNMENT OF JHARKHAND COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

S.O 29, dated 23-6-20/6 In exercise of the powers conferred under Section 22 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006), the Governor of Jharkhand is pleased to cancel the departmental Notification No.S.O. 5 dated 22.06.2007.

This Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(File No.Va.Kar.1/VAT/Vividh/40/2006)

By the Order of the Governor of Jharkhand,

Principal Secretary,
Commercial Taxes Department,
Jharkhand, Ranchi